

## Papers laid on the table of the House by Ministers/Members

**माननीय अध्यक्ष:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 2, श्री श्रीपाद येसो नाइक जी ।

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK):** Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 182 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission of UT of JandK and UT of Ladakh (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-JKL/REG/2024/13 in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> February, 2025.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of JandK and UT of Ladakh, (Recruitment, Control and Service Conditions of Officers and Staff) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC/Accts-08/2024/12 in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> December, 2024.

[Placed in Library, See No. LT2467/18/25]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (First Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. F.No.L-1/260/2021/CERC in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> December, 2024.

- (ii) Notification No. L-1/260/2021/CERC published in Gazette of India dated 0<sup>th</sup> December, 2024 notifying that Clause 8 of Regulation 8 of the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 shall, unless notified otherwise, come into effect from 00.00 hours of 23.12.2024 and until the period ending 24.00 hours of 22.12.2024, para 27(3) (a) of the Order dated 06.02.2023 in Petition No. 01/SM/2023 shall continue to be in operation.

[Placed in Library, See No. LT2468/18/25]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) का.आ. 613(अ) जो दिनांक 4 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो टीओटी मोड पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच सं. एनई2 पर किमी 1.000 से किमी 136.000 तक [एनएच-44 (पुराना एनएच-1) पर किमी 36.083 से 1.00 किमी दूरी से शुरू होकर एनएच-19 (पुराना एनएच-2) पर किमी 64.330 से 1.00 किमी दूरी पर समाप्त होने वाले] के खंड के उपयोग के लिए दिनांक 05 सितंबर, 2022 के का.आ. 4153(अ) द्वारा प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (2) का.आ. 686(अ) जो दिनांक 10 फरवरी, 2025के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-218 (नया एनएच-52) के बीजापुर-हुबली खंड पर किमी 56.000 से किमी 106.260 तक पक्की सड़क सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (3) का.आ. 687(अ) जो दिनांक 10 फरवरी, 2025के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर झारखंड राज्य में एनएच-33 और (पुराने एनएच-80) के डिजाइन चनेज किमी 232.100 से किमी 242.450 (वर्तमान किमी

235.132 से किमी 245.600) तक मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के चार लेन के निर्माण की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (4) का.आ. 698(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-44 (पुराने एनएच-7) पर एमएच/टीएस बॉर्डर से आर्मूर (किमी 175.000 से किमी 313.507 तक) और अदलूर येल्लारेड्डी से बोवेनपल्ली (किमी 373.762 से किमी 486.838 तक) तक 4/6 लेन की टोलिंग, संचालन, रखरखाव और अंतरण की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (5) का.आ. 819(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई-4सी के किमी 0.000 से किमी 66.916 (लंबाई 66.916 किमी) तक के खंड के उपयोग की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT2469/18/25]

- (6) का.आ. 820(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में भारतमाला परियोजना चरण-I के अंतर्गत एनएच-347बीजी (इंदौर से बोरेगांव, पैकेज-II और पैकेज-III) डिजाइन चेनेज किमी 9.000 से डिजाइन चेनेज किमी 82.810 (लंबाई 74.30 किमी) के तेजाजी नगर से बलवाड़ा से धनगांव खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (7) का.आ. 928(अ) जो दिनांक 20 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच संख्या 731 के हरदोई बाईपास के अंत से हरदोई जिले के अंत तक (किमी 175.080 से किमी 229.070 तक) खंड की चार और अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (8) का.आ. 929(अ) जो दिनांक 20 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-67 (नई संख्या 83) के डिजाइन किमी 80.000 से किमी 136.490 (वर्तमान किमी 80.000 से किमी 135.750) तक तंजावुर-त्रिची

खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (9) का.आ. 931(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड के तहत मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752बी के चेनेज 26.400 से 27.500 तक 1.1 किमी को छोड़कर और चेनेज 22.800 से 29.600 (वर्तमान किमी 0.000 से किमी 40.800 तक) तक 6.8 किमी बाईपास को शामिल करते हुए डिजाइन किमी 0.000 से किमी 40.400 तक जीरापुर-सुसनेर-एमपी-आरजे सीमा सड़क की पक्की सड़क के साथ 2 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (10) का.आ. 983(अ) जो दिनांक 27 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर मुजफ्फरनगर-मीरांपुर खंड के डिजाइन किमी 97.450 से डिजाइन किमी 123.450 (वर्तमान किमी 5.085 से किमी 30.610) तक और डिजाइन किमी 0.000 से डिजाइन किमी 10.157 तक (वर्तमान किमी 72.600 से किमी 113.450) और मुजफ्फरनगर शहर को बाईपास करते हुए एनएच-709एडी और एनएच-334 को जोड़ने वाले मुजफ्फरनगर खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (11) का.आ. 984(अ) जो दिनांक 27 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-47 के डिजाइन किमी (-) 0.400 से 121.248 तक हरदा- बेतूल खंड के चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2470/18/25]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH):** Sir, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur,

for the year 2023-2024.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur, for the year 2023-2024.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT2471/18/25]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, for the year 2023-2024.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, for the year 2023-2024.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT2472/18/25]

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) :** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT2473/18/25]

- (3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 2022-2023 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT2474/18/25]

- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT2475/18/25]

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) :** महोदय, मैं बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निर्दिष्ट बांधों के अलावा अन्य बांधों के लिए बांध सुरक्षा उपाय विनियम, 2024 जो दिनांक 21 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए में प्रकाशित हुए थे।
- (2) बांधों की भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण विनियम, 2024, जो 17 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-

एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT2476/18/25]

**सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोत):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT2481/18/25]

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा):** महोदय, श्री हर्ष मल्होत्रा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
  - (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996, जो दिनांक 11 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एन.एच. एआर-12011/1/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्यभार ग्रहण करने का समय) विनियम, 1996, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/6/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रोत्साहन) विनियम, 1995, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/10/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (अवकाश यात्रा रियायत) विनियम, 1997, जो दिनांक 20 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/12/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कारोबार का संचलन), विनियम, 1997, जो दिनांक 20 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/2/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT2477/18/25]

- (छह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन और अपील), विनियम, 1997, जो दिनांक 2 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/13/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (अवकाश) विनियम, 1997, दिनांक 2 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/16/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता) विनियम, 1997, जो दिनांक 2 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/19/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) विनियम, 1997, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/11/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) संशोधन विनियम 2004, जो दिनांक 19 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/11/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT2478/18/25]

- (ग्यारह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) संशोधन विनियम, 2006, जो दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/11/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2008, जो दिनांक 3 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई-फा.सं.11011/02/2008-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2008, जो दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई-फा.सं.11012/46/2005-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (अवकाश यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 2008, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/12011/12/95-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) अधिसूचना संख्या एनएचएआई-फा.सं.11012/147/2009-प्रशा., जो दिनांक 30 दिसंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 का, उसमें उल्लिखित, शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

[Placed in Library, See No. LT2479/18/25]

- (सोलह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2010, जो दिनांक 14 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/09/2009-एचआर. I. में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2014, जो दिनांक 13 अगस्त, 2014 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर.1. में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कारोबार का संचलन) संशोधन विनियम, 2015, जो दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/बीएम-11041/122/2011-समन्वय में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016, जो दिनांक 19 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2024, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.11011/19/2014-प्रशा. में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो दिनांक 20 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं.11011/19/2024-प्रशा. में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT2480/18/25]

---

**12.03 hrs**